

# न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 40/2017 अपील

श्री रतन पिता मेगा भील निवासी काबरों  
का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
(राज0)

उनवान

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार  
भीलवाड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

—अप्रार्थी


अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय नायब  
तहसीलदार कारोई, बमामले प्र0सं0 19/2017 आदेश दिनांक 26.07.2017

उपस्थित :- श्री सुनिल बापना अधि0 अपीलान्ट की ओर से !  
राजकीय पक्ष में नायब तहसीलदार कारोई उपस्थित !

निर्णय


दिनांक : 11/10/2017

अपीलार्थी की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार कारोई तहसील भीलवाड़ा, बमामले प्रकरण संख्या 19/2017 आदेश दिनांक 26.07.2017 प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का गुरला द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध ग्राम गुरला की आराजी नम्बर 1373 रकबा 0.05 बीघा बाबत नाजायज कब्जा की रिपोर्ट की है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कोई नाजायज कब्जा नहीं किया है बल्कि अपीलान्ट गरीब एवं अनपढ़ काश्तकार होने से भूलवश अपनी आराजी जानकर कब्जा कर लिया था। अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य सफाई में किसी प्रकार का अवसर दिये बिना ही जल्दबाजी में अदालत मातहत ने फैसला पारित कर अपीलान्ट को बेदखल करने तथा एक माह की सिविल जेल भुगताने का आदेश जारी कर दिनांक 14.09.2017 को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जेल में बन्द है। अपीलान्ट को नोटिस का जवाब देने का भी अदालत मातहत ने कोई अवसर प्रदान नहीं किया है और न ही पटवारी हल्का गुरला के बयान लेखबद्ध किए गए तथा कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही जल्दबाजी में निर्णय पारित कर अपीलान्ट को सिविल जेल भिजवा दिया गया है। इस प्रकार मातहत अदालत का आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सरासर विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अदालत मातहत का आदेश अपास्त फरमाया जावे और नियमानुसार कार्यवाही कराने के लिए प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

अपील बाद जांच पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित एवं राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार कारोई स्वयं उपस्थित। अपील मीमों पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलान्त के द्वारा अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाते हुए अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे। नायब तहसीलदार कारोई ने वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा मौके पर चरागाह भूमि पर नाजायज कब्जा किया है। अपीलार्थी के द्वारा पश्चातवर्ती कब्जा किया जिससे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नाजायज कब्जे की प्रवृत्ति को रोके जाने हेतु सिविल जेल की सजा प्रदान की गई जो उचित है अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। अपील मीमों में स्वयं अपीलार्थी इस कथन को स्वीकार कर रहा है कि उसके द्वारा अपनी आराजी जानकर कर कब्जा कर लिया है जबकि उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अपनी स्वयं के स्वामित्व की भूमि होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं किया है। यहां तक कि अपीलार्थी के द्वारा पूर्व वर्ष 2015 में भी अतिक्रमण किया जिसका अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.07.2017 में उल्लेख है कि अपीलार्थी को पूर्व दिनांक 21.11.2015 को भी उक्त भूमि से बेदखल किया परन्तु पुनः नाजायज कब्जा कर न्यायालय आदेशों की बार-बार अवहेलना की गई है। अपीलार्थी का यह कथन भी गलत है कि उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जबकि स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.07.2017 को उपस्थित होकर उसके द्वारा पूर्व में भी नाजायज कब्जा किया तथा वर्तमान में भी मेरे द्वारा अतिक्रमण कर ग्राम गुरला की आराजी नम्बर 1373 रकबा 0.05 बीघा भूमि पर मकान व बाड़ा बनाए जाने के सम्बन्ध में अपने मौखिक बयान कलमबद्ध कराये हैं। इस बयान में यह भी अंकित है कि वह नाजायज कब्जा नहीं छोड़ेगा। चूंकि अपीलान्त के द्वारा बयान अनुसार नाजायज कब्जा नहीं हटाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 30 दिवस का सिविल कारावास की सजा व पैनल्टी आरोपित की गई जो नियमानुसार है। परन्तु वर्तमान में इस न्यायालय के प्रार्थना पत्र संख्या 68/2017 आदेश दिनांक 15.09.2017 में सशर्त नाजायज कब्जा हटाये जाने पर 10000-10000 रूपये के जमानत मुचलके एवं अधीनस्थ न्यायालय में भविष्य में ऐसी किसी भी राजकीय, चरागाह व सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर स्वयं या उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा भविष्य में नाजायज कब्जा नहीं किए जाने का बन्धपत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 25.09.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा उक्त आराजी में इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान का निर्माण किया हुआ है तथा बिजली कनेक्शन भी लगा हुआ है। अपीलान्त गरीब होकर रहने के लिए मकान नहीं है। अतः उचित आदेश फरमावें। अपीलान्त के प्रार्थना पत्र के साथ मौके पर निर्मित मकान की फोटो लगी हुई है जिसमें पट्टिका दर्शित हो रही है। इस पट्टिका में सोहनी के नाम पर इन्दिरा आवास योजना के तहत यह मकान निर्मित होना सिद्ध हो रहा है। जैसाकि यह स्पष्ट है कि यह बीपीएल एवं आवासहीन व्यक्तियों


  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

को उनकी स्वामित्व की भूमि में इस योजना के तहत मकान निर्माण हेतु ग्राम पंचायत स्तर से जांच की जाकर ग्रामसभा में प्रस्ताव स्वीकृत कराया जाकर सरपंच एवं सचिव के माध्यम से राशि स्वीकृति हेतु जिला परिषद को प्रकरण तैयार कर भिजवाए जाने पर स्वीकृत राशि तीन किशतों में सम्बन्धित हितधारी को जारी की जाती है। यहां तक कि प्रथम किशत के समय पर भी सम्बन्धित सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी किया जाना उचित नहीं समझा कि जिस स्थान/आराजी में अपीलान्ट मकान बना रहा है वह अवैध है अथवा उसके स्वामित्व की है। अपीलान्ट गरीब होकर अनपढ है जिसे यह ज्ञान नहीं है कि उसे राज्य सरकार ने आवास बनाने के लिए सहायतार्थ अनुदान प्रदान किया है जिसका उपयोग अपीलान्ट के द्वारा चरागाह भूमि पर किया जा रहा है जो कि बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के नियमित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत कारोई के स्तर से राज्य सरकार के राजकोष को नुकसान पहुंचाना सिद्ध होता है। न्यायालय स्तर से चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को नियमित किए जाने के आदेश पारित नहीं किए जाते हैं परन्तु अपीलार्थी के द्वारा अपने अतिक्रमण को हटा लिया है। इस प्रकार अपीलार्थी ने न्यायालय आदेश की पालना पूर्ण किए जाने से अपीलान्ट की प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कारोई के प्रकरण संख्या 29/2017 आदेश दिनांक 26.07.2017 से सुनाई गई 30 दिन की सिविल जेल की सजा को माफ किया जाना उचित है। अतएव-

#### आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कारोई के द्वारा प्रकरण संख्या 19/2017 आदेश दिनांक 26.07.2017 से अपीलान्ट को सुनाई गई 30 दिवस की सिविल जेल की सजा को माफ किया जाता है। शेष पैनल्टी आदेश को यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को अलग से भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मुक्तानंद अग्रवाल)  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा